75

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 565/तीन/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02—04—2009 के द्वारा अपर आयुक्त मुरैना संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 263/2007—2008/अपील

.....

1— मोहन पुत्र बद्रीलाल
निवासी—श्योपुर, जिला—श्योपुर(म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— विपिन कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद
निवासी—श्योपुर, जिला—श्योपुर(म0प्र0)

2— मध्यप्रदेश शासन जर्ये राजस्व निरीक्षक
श्योपुर, जिला—श्योपुर, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

श्री बी0एन0 त्यागी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त मुरैना संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 263/2007—2008/अपील में पारित आदेश दिनांक 02—04—2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर श्योपुर के न्यायालय में म0प्र0भू—राजस्व संहिता की धारा 107 के तहत आवेदन—पत्र दिनांक 05.02.2007 प्रस्तुत कर बताया कि उसके स्वत्व व स्वामित्व की कस्बा श्योपुर स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक

373/2 मिन1 का रकबा चम्बल नहर से लगा हुआ है । इस सर्वे क्रमांक का बटांकन खसरे में मौजूद है किन्तु नक्शे में तरमिम नहीं है । अतः नक्शें में लाल स्याही से तरमिम करने का आदेश प्रदान किया जावे । इस पर कलेक्टर श्योपुर ने प्र0क्र0 948/06–07/बी–121 पंजीबद्ध किया तथा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख से मौके की रिर्पोट प्राप्त कर उभयपक्ष की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 07.07.20085 पारित किया तथा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन से असहमत होते हुये वादगस्त भूमि के पूर्व में हुये बटांकर को निरस्त करते हुये तहसीलदार श्योपुर को निर्देश दिये कि वह पुनः नक्शा तरमिम कर बटांकन की कार्यवाही प्रस्तावित करें । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया । जहॉ पर प्रकरण क्रमांक 263/2007–2008/अपील पंजीबद्ध किया जाकर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 02.04.2009 को आदेश पारित करते हुये अपील स्वीकार किया गया तथा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन क्रमांक क्यू/मौका/जांच/2007, दिनांक 11.10.2007 को आदेश का अंशभाग माना है । अपर आयुक्त मुरैना के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को भली प्रकार नहीं समझा है तथा मैटेरियल ऑन रिकार्ड से गलत निष्कर्ष निकाला है और अपील स्वीकार की है । इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि नहर पथ पर किस भूमिस्वामी को नक्शा तरमिम कर भूमि दे दी जावेगी, वह दूसरे भूमिस्वामी को अपने खेत पर आने–जाने से रोक देगा तथा अनावेदक क्र0 1 ने जो भूमि क्रय की है, उसमें चर्तुसीमाओं का उल्लेख नहीं है ऑर न ही यह उल्लेख है कि भूमि नहर पथ से लगी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने तरमिम की विधिक सम्मत नियमावली को भी जानबुझकर नजरअंदाज किया है, जो वैधानिक त्रुटि की है । इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जावे तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 2 के शासकीय अभिभाषक द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखे हुये, प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये और प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि नक्शें में भूमि सर्वे क्रमांक 373 पूर्व वर्षों से अर्थात मृतक भूमिस्वामी बद्रीलाल माली के समय से नक्शें में एवं मौके पर यथावत है । बद्रीलाल की मृत्यु सन् 1974 में हुई, इसके उपरांत वादग्रस्त भूमि उसके चार पुत्र नाथूलाल, रामगोपाल, मोहन लाला व हरीशंकर के बीच विभाजित हुई, जिसमें से भूमि सर्वे क्रमांक 372 नाथूलाला व रामगोपाल को हिस्से में मिली एवं भूमि सर्वे क्रमांक 373 मोहनलाल एवे हरीशंकर को प्राप्त हुई, जिनके सर्वे क्रमांक 373/2 एवं 373/3 बने। सर्वे क्रमांक 373/1 पर नहर एवं रास्ता है । हरीशंकर ने पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 20.08.1992 को सर्वे क्रमांक 373/3 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा अर्थात् 0.575 है0 रुपये 70,000/– में विपिन कुमार एवं रामकिशन को विक्रय की । बाद में संयुक्त क्रेता रामकिशन ने भूमि सर्वे क्रमांक 373/3 के हिस्सा 1/2 की भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 11.10.96 से विपिन कुमार को विक्रय कर दी। इस प्रकार विपिन कुमार सम्पूर्ण रकबा 0.575 है0 का भूमिस्वामी हो गया । चूँकि पूर्व भूमिस्वामी बद्रीलाल की मृत्यु के उपरांत मोहनलाल को भूमि सर्वे क्रमांक 373/2 एवं हरीशंकर को भूमि सर्वे क्रमांक 373/3 सन् 1974 में प्राप्त होकर बटांकित थी तभी से मोहनलाल व हरीशंकर अपने–अपने स्वत्व की भूमि पर काबिज थे और सर्वे क्रमांक 373/3 में से रकबा 0.575 है0 क्रेता विपिन कुमार द्वारा खरीदी जाकर दिनांक 20.08.1992 से मौके पर कब्जा प्राप्त करके कास्त करता चला रहा था और इसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के उपरांत भूमि सर्वे क्रमांक 373/3 पर बाउन्ड्रीबॉल बनाकर वह काबिज था। यदि वर्ष 1992 में विक्रय पत्र के आधार पर दिये गये कब्जे एवं बाउन्ड्रीबॉल बनाने में आवेदक को आपत्ति थी तो वह वर्ष 1992 अथवा उसके उपरांत भी आपत्ति कर सकता था । इससे यही प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि खण्डांकों में मौके पर पूर्व से ही विभाजित है ।

6/ इस प्रकार कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण में संलग्न सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख का स्थल पर की गई पैमायश उपरांत तैयार किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 11.10.07 एवं मौके पर तैयार पंचनामा का अवलोकन किया, जिसके अनुसार मौके पर मोहनलाल एवं विपिन कुमार की मौजूदगी में दो राजस्व निरीक्षकों के साथ मौका देखा गया है और सीमांकन किया गया है । पूर्व से चले आ रहे विभाजन एवं कब्जे अनुसार आवेदक मोहनलाल का कब्जा उत्तर दिशा में एवं विपिन कुमार का कब्जा दक्षिण दिशा में था । दोनों पक्षकारों के बीच मेढ़ थी और बोल्डर की 3 फीट बाउन्ड्री बनी थी । मौके की पैमायश एवं कब्जे के अनुसार मूल

नक्शों में सुधार हेतु अक्श में बटांकन लाल स्याही से करते हुये सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख ने प्रतिवेदन दिया था, जिसके अनुसार वर्ष 1951 से खसरे में बटांकन दर्ज होने के आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी, जिसे कलेक्टर के द्वारा अस्वीकार करते हुये म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अन्तर्गत मौके की स्थिति अनुसार संशोधन न करते हुये आदेश दिनांक 07.07.2008 से सन् 1974 से चले आ रहे बटांकन एवं वादग्रस्त भूमि के विक्रय वर्ष 20.10.1992 अनुसार हुये बटांकन एवं निर्मित बाउन्ड्रीबॉल के विपरीत तहसीलदार श्योपुर को वादग्रस्त भूमि के पुर्नबटांकन करने के प्रस्ताव देने हेतु निर्देशित किया है, जिससे न केवल उभयपक्ष के बीच मुकदमेबाजी बढ़ेगी, अपितु दोनों पक्षकारों में तनाव भी उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ जावेगी । चूँकि मौके पर भूमि का रकबा यथावत है तथा उभयपक्ष का कब्जा पूर्व वर्षों से यथावत है । ऐसी स्थिति में मौके पर पक्षकारों के लम्बे अंतराल से चले आ रहे कब्जो एवे खेती करते चले आने के कारण मौके की स्थिति मे मान से ही नक्शे में बटांकनों का गात्र अमल होना है । जहां तक आवेदक मोहनलाल के आवागमन संबंध आपत्ति का प्रश्न है, उसके लिये आवेदक के पास संहिता की धारा 131 में प्रावधान होने से उपचार प्राप्त है । ऐसी स्थिहित में कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2008 विधिवत नहीं होने से निरस्त किया जाता है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है और अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2009 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर